न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –21/2021
आर.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2021/36

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स
खेमाराम पुत्र बागाराम जाति जाट निवासी सुखवासी तहसील व जिला नागौर, राज0		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नागौर। 2. भोमाराम पुत्र बागाराम जाति जाट निवासी सुखवासी तहसील व जिला नागौर राज0

उपस्थिति:–

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री दिनेश कुमार हेडा।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां एंव रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से वकील श्री राधेश्याम सांगवा।

निर्णय **दिनांक** 12-8-2021

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत तहसीलदार नागौर द्वारा भोमाराम बनाम खेमाराम सिंवर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86(2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 15.02.2021 से असंतुष्ट होकर दिनांक 26.02.2021 को प्रस्तुत की गई। अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा शिवपुरा पटवार वृत रायधनू तहसील नागौर के खसरा नम्बर 61 में पूर्व की तरफ खसरा नम्बर 960/61 का कोई हिस्सा नहीं है, जबकि ऑनलाईन नक्शें में जो तरमीम की गई है, उसमें खसरा नम्बर 61 के पूर्व में खसरा नम्बर 960/61 का हिस्सा बताया गया है, जो गलत है। जबकि खसरा नम्बर 960/61 खसरा नम्बर 61 के दक्षिण में आया हुआ है, तरमीम कार्य गलत हुआ है जो सही किया जाने का कथन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 86 (2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् प्रकरण दर्ज किया। दौरान सुनवाई अपीलांट खेमाराम ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा शिवपुरा पटवार हल्का रायधनू के खसरा नम्बर 61 व 960/61 पटवारी हल्का में की गई तरमीम सही है। आपत्तिकर्ता भोमाराम के द्वारा जो आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि पटवारी हल्का के द्वारा तरमीम गलत है वो आपत्ति पूर्णतया मनगढत व आधारहीन है क्योंकि खेमाराम की खातेदारी की भूमि मौके पर जिस प्रकार से कायम रहती चली आई है, उसी अनुसार मौके की वास्तविक स्थिति को देखकर ही संबंधित पटवारी हल्का के द्वारा तरमीम पूर्णतया सही की गई है। इस संबंध में आपत्तिकर्ता के द्वारा जिस भूमि पर कब्जा काश्त व खातेदारी होना बतलाया गया है, वो भूमि उनके राजस्व रेकर्ड में दर्ज रकबे के अनुसार मौके पर सही है और मौके पर उनकी भूमि पूरी होते हुए भी उतरदाता की भूमि में गलत प्रकार से हक हिस्सा जताने का प्रयास किया जा रहा है जो कि पूर्णतया गलत अनुचित व अवैध है। मौके पर उतरदाता के द्वारा जो भूमि राज हक में दिनांक 04.12.2020 को समर्पित की है उस भूमि पर मौके पर रास्ता चालू है जो कि पहले से ही चालू चला आ रहा है। इस संबंध में स्वंय श्रीमान् के द्वारा दिनांक 04.12.2020 [illegible] स्वीकृत करने हेतु आदेश जारी किया जा चुका है। उस म्युटेशन की कार्यवाही में बाधा [illegible] के लिए केवलमात्र पारिवारिक विवाद के कारण मुझ उतरदाता को तंग [illegible] आपत्ति गलत तथ्यों के आधार पर बनावटी व मनगढत तथ्यों पर पेश की है, जो आपत्ति [illegible] होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई अपीलांट के विरूद्ध आदेश पारित करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का [illegible] स्वीकार कर तरमीम राजस्व रेकर्ड के अनुसार सही करके प्रस्तुत [illegible]रने हेतु आदेश पारित क[illegible]

निर्णय जैर अपील विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धान्तों एंव पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के अनुसार एंव प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से प्रथम दृष्ट्या खारिज होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:34:14 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित करते समय राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों की सही प्रकार से व्याख्या नहीं की है, क्योंकि धारा 86 उप धारा 2 में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है कि ऐसा कोई भी आदेश जिसके खिलाफ अपील या पुनरीक्षण की गई हो, उस स्थिति में अपील व कार्यवाही के लम्बित रहते ऐसे आदेश को पुनर्विलोकित नहीं किया जा सकता। हस्तगत प्रकरण में जिस आदेश को पुनर्विलोकित किया गया है, उस आदेश के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर रखी है। इस प्रकार आदेश के विरूद्ध अपील का किया जाना और विचाराधीन होना रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के ध्यान में था और उस अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पक्षकार होने से अपील की जानकारी अधीनस्थ न्यायालय को होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आदेश पुनर्विलोकित करते हुए जो आदेश जैर अपील पारित किया है, वो खारिज होने योग्य है। आलौच्य आदेश जिसको पुनर्विलोकित किया गया है, वो आदेश तहसीलदार नागौर का आदेश क्रमांक/भू.अ./2019/1016 दिनांक 01.02.2019 के अनुसार किया गया था, इस प्रकार तरमीम आदेश के 90 दिन के भीतर कोई पुनर्विलोकन आवेदन प्रस्तुत नहीं हुआ था, जिससे ऐसा पुनर्विलोकन आवेदन ग्रहण किया जाना भी विधि अनुसार सही नही था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विधिक स्थिति को नजरअंदाज करते हुए जो आलौच्य आदेश पारित किया है, वो धारा 86 के प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज होने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते समय यह निष्कर्ष दिया है कि मौजा शिवपुरा के खसरा नम्बर 960/61 में दर्शाई गई डीआईएलआरएमपी प्रोग्राम के तहत् तरमीम पटवारी हल्का द्वारा आदेश क्रमांक 129 दिनांक 04.12.2020 के द्वारा समर्पित की गई भूमि का नामान्तकरण होने से पूर्व ही नक्शे में जो तरमीम दर्शाई गई है, वो सही नहीं है, जबकि आदेश दिनांक 04.12.2020 की पालना में कोई तरमीम नक्शे में पटवारी के द्वारा नहीं की गई है, जिसके संबंध में नक्शा प्रस्तुत है, उसमें समर्पित की गई भूमि या समर्पित की गई भूमि का कोई अलग से बटटा नम्बर डालकर तरमीम की गई हो, ऐसा कोई पृष्ठांकन, नोट आदि राजस्व रिकॉर्ड में कही पर भी दर्ज नहीं है ऐसी स्थिति में जब राजस्व नक्शे में कोई तरमीम की ही नहीं पाई थी, तो ऐसी स्थिति में बिना तरमीम को हटाने के लिए एंव राजस्व रिकॉर्ड में सही करने के लिए जो आदेश जैर अपील पारित किया है, वो इस आधार पर खारिज होने योग्य है।

अपीलांट खसरा नम्बर 960/61 का खातेदार काश्तकार है और उसकी भूमि मूल खसरा नम्बर 61 के दक्षिणी एंव दक्षिण से उतर की तरफ पूर्वी दिशा में लाईननुमा आकार मे स्थित रहती चली आई है और मौके पर इसी भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट ने अपने उक्त खरीदसुदा व खातेदारी की भूमि मे सें उतर से दक्षिण पूर्वी तरफ की लाईननुमा भूमि को रास्ते के लिए समर्पित की थी। जिसके लिए विधिवत रूप से आवेदन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के समक्ष प्रस्तुत करके समर्पण पत्र भी प्रस्तुत कर दिया था, जिसमें स्वंय पटवारी हल्का के द्वारा समर्पण के लिए प्रस्तावित भूमि को चिहिन्त करते हुए नक्शे में मार्क किया था एंव प्रार्थना पत्र के साथ इसकी रिपोर्ट भी की गई है। इस प्रकार अपीलांट के द्वारा अपने खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि मे से भूमि समर्पित की है एंव 1 बीघा 03 बिस्वा भूमि रास्ते के लिए समर्पित करने के बाद प्रार्थी की खातेदारी की शेष भूमि मौके पर उपलब्ध है। इस संबंध में समर्पित भूमि एंव मौके पर उपलब्ध अपीलांट के कब्जे की भूमि के संबंध में नाप चोप रिपोर्ट अगर तलब की जाती है तो सम्पूर्ण वास्तविक स्थिति माननीय न्यायालय के समक्ष आ सकती है। आलौच्य आदेश पारित करते समय पत्रावली पर पटवारी रायधनू की रिपोर्ट सलग्न थी, जिसमें पटवारी के द्वारा स्पष्ट रूप से कथन किया गया था कि पूर्व में तहसीलदार के आदेश दिनांक 01.02.2019 की पालना में तरमीम मौके के अनुसार की गई थी। इस प्रकार उक्त रिपोर्ट को कंसीडर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आलौच्य आदेश पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य होने का कथन करते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा बअनवान वादी भोमाराम बनाम खेमाराम व अन्य अधीन धारा 86 (2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 15.02.2021 को खारिज किये जाने का आदेश फरमाने का निवेदन किया है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस के समर्थन में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 धारा 86 [illegible] 169, व 177, आर.आर.डी. 1977 पेज–468–469, आर.आर.डी. 1984 पेज–532–533 प्रस्तुत [illegible]।

वकील रेस्पोडेन्ट श्री राधेश्याम [illegible] मौजा शिवपुरा में खसरा नम्बर 61 रकबा 15.9122 रेस्पोडेन्ट भोमाराम व अन्य [illegible] जिसमें अपीलान्ट खेमाराम भी सह खातेदार होकर सह खातेदारी का खेत है। इसके चिपता ही दक्षिण की तरफ बराबर लम्बाई में अपीलान्ट खेमाराम का खेत खसरा नम्बर 960/61 आया हुआ [illegible] उक्त खसरा नम्बर 960/61 पहले मूल खसरा 61 का ही भाग था एवं बाद में बेचान के जरिये खसरा नम्बर 960/61 रकबा 98 बीघा 7 बिस्वा अपीलान्ट के नाम दर्ज हुआ। इस प्रकार मूल खसरा नम्बर 61 उतरी तरफ व खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:34:14 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर
नागौर (राजस्थान)

960/61 दक्षिण तरफ बराबर रकबे में व बराबर लम्बाई में एक ही सीध में रहे है। खसरा नम्बर 960/61 का कोई भी रकबा मूल खसरा नम्बर 61 के पूर्वी तरफ कभी नहीं रहा। अपीलान्ट खेमाराम ने अपने खेत खसरा नम्बर 960/61 में सें 55 बीघा भूमि बालूराम पुत्र लिछमणराम को बेचान कर दी थी, जिसके संबंध में हुऐ नामान्तरकरण की पुश्त पर नजरी नक्शा में तैयार किया गया जिसमें बराबर हिस्सा लिखा हुआ है खसरा नम्बर 61 के पूर्व में कोई हिस्सा इस खसरा नम्बर 960/61 का नहीं लिखा हुआ है। परन्तु अपीलान्ट ने खसरा नम्बर 61 के पूर्व में खसरा नम्बर 960/61 की भूमि होना समर्पण करने के दुराशय से गलत तौर पर राजस्व नक्शा में ऑन लाईन तरमीम करवा कर उस मिथ्या तरमीम को आधार बनाकर उस कथित 0.1862 हैक्टेयर भूमि वाके मौजा शिवपुरा का समर्पणनामा तैयार करवा कर तहसीलदार नागौर को अंधेरे में रख कर या उन पर अनुचित दबाव बनाकर व पटवारी हल्का से मिलीभगत करके गलत रिपोर्ट बनाकर अपीलांट की भूमि का मिथ्या समर्पण पत्र व स्वीकृति आदेश बाले बाले दिनांक 04.12.2020 को पारित करवा लिया है। जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट भोमाराम को होने पर दिनांक 21.12.2020 को तहसीलदार नागौर को गलत तरमीम की दुरूस्ती कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर तहसीलदार नागौर ने तरमीम शुद्धिकरण के संबंध में निरीक्षक भू.अ. अलाय व कुमारी एवं पटवारी रायधनू से पत्र दिनांक 01.01.2021 से टीम बनाकर मौके व राजस्व रेकर्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट बिन्दुवार रिपोर्ट प्राप्त की, जिस रिपोर्ट दिनांक 08.01.2021 में स्पष्ट उल्लेख किया गया कि DILRMP के तहत खसरा नम्बर 960/61 की तरमीम नामान्तरकरण संख्या 819 की पुश्त में दर्शाये नजरी नक्शे के अनुरूप नहीं है। उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट भोमाराम व अन्य को नोटिस जारी किये, जिस नोटिस के संबंध में अपीलान्ट खेमाराम द्वारा भी जबाब प्रस्तुत किया, परन्तु खेमाराम द्वारा खसरा नं0 61 के पूर्व में खसरा नम्बर 960/61 का कोई भाग स्थित होने बाबत कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील दिनांक 15.02.2021 पारित किया है, जो पूर्णतया उचित है।

वकील अपीलान्ट ने अपील के पेंडिग रहते उसमें धारा 86(2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत किसी प्रकार का आदेश/निर्णय पारित करने का अधिनस्थ न्यायालय को अधिकार नहीं होने, को लेकर वकील अपीलान्ट ने जो कथन किया है। उक्त संबंध में निवेदन है कि रेस्पोडेन्ट भोमाराम को जब यह ज्ञात हुआ कि खसरा नम्बर 61 वाके मौजा शिवपुरा में पूर्व की तरफ खसरा नम्बर 960/61 का कोई हिस्सा नहीं होते हुए भी आनलाईन नक्शे खसरा नम्बर 61 के पूर्व में खसरा नम्बर 960/61 का हिस्सा बताया गया है, जो गलत तरमीम होने बाबत अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर के समक्ष दिनांक 21.12.2020 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उसे दुरूस्त करने का निवेदन किया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील उक्त खसरान में तरमीम दुरूस्ती के संबंध में ही पारित किया गया है एवं तरमीम दुरूस्ती के संबंध में कोई अपील विचाराधीन किसी भी न्यायालय में नहीं थी, इसलिए तरमीम दुरूस्ती के संबंध में धारा 86(2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, वह कानूनन सही है।

रेस्पोडेन्ट भोमाराम द्वारा उक्तानुसार आनलाईन नक्शे में गलत तरमीम को दुरूस्त करने का आवेदन दिनांक 21.12.2020 को प्रस्तुत किया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर को गलत तरमीम होने की जानकारी 21.12.2020 को हुई और उसी दिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ कर पृष्ठांकन पत्रांक–भू0अ0/2020/8157–58 दिनांक 21.12.2020 से निरीक्षक भू.अ. कुमारी व पटवारी रायधनू को रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिये जाकर कार्यवाही प्रारम्भ कर, भोमाराम के आवेदन पर रिपोर्ट प्राप्त कर, पक्षकारान को आपत्ति साक्ष्य सबूत आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई तरमीम दुरूस्ती के संबंध में निर्णय जैर पारित किया गया है, जो निर्णय जैर अपील कानूनी रूप से सही होने का कथन करते हुए अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार ने वकील रेस्पोडेन्ट श्री राधेश्याम सांगवा की बहस का पूर्णरूप से समर्थन करते हुए बहस में यह ओर कथन किया कि हस्तगत [illegible] पक्षकारान के मध्य तरमीम के संबंध में विवाद है, जो रेकर्ड दुरूस्ती/शुद्धिकरण का म[illegible] है [illegible]कर्ड दुरूस्ती/शुद्धिकरण के सबंध में पक्षकारान द्वारा सक्षम राजस्व न्यायालय में ही विधिवत [illegible] की जा सकती है। न्यायालय हाजा को ऐसे विवादों पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त न[illegible] का कथन करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस सुनी गई। सम्पूर्ण पत्रावली एवं वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों को अवलोकन किया किया गया। हस्तगत प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट खेमाराम द्वारा दिनांक 04.12.2020 को अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर के समक्ष उपस्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:34:14 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

होकर प्रार्थना पत्र मय समर्पण पत्र प्रस्तुत कर मौजा शिवपुरा के खसरा नम्बर 960 / 61 रकबा 7.0091 है0 किस्म बारानी–2 में से 0.1862 है0 भूमि समर्पण बाबत निवेदन करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समर्पण स्वीकृति पत्र आदेश कमांक–राजस्व / 2020 / 129 दिनांक 04.12.2020 को जारी किया। उक्त संबंध में रेस्पोडेन्ट भोमाराम को जानकारी होने पर रेस्पोडेन्ट भोमाराम द्वारा एक आवेदन दिनांक 21.12.2020 को अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर के समक्ष इस आश्य का प्रस्तुत किया कि खसरा नम्बर 61 वाके मौजा शिवपुरा तहसील नागौर में पूर्व की तरफ खसरा नम्बर 960 / 61 का कोई हिस्सा नहीं है, जबकि ऑनलाईन जो नक्शे में तरमीम गये गये है उसमें खसरा नम्बर 61 के पूर्व में खसरा नम्बर 960 / 61 का हिस्सा बताया गया है, जो गलत बताया गया है। खसरा नम्बर 960 / 61 खसरा नम्बर 61 के दक्षिण में आया हुआ है। तरमीम गलत हुआ है। इसलिए खसरा नम्बर 61 के पूर्व में खसरा नम्बर 960 / 61 गलत रूप से दर्शाये होने से उसको दुरूस्त करवाये जाने का निवेदन किया।

रेस्पोडेन्ट भोमाराम के उक्त तरमीम दुरूस्त करवाये जाने के आवेदन दिनांक 21.12.2020 पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा पृष्ठांकन पत्रांक–भू0अ0 / 2020 / 8157–58 दिनांक 21. 12.20 से निरीक्षक भू.अ. कुमारी व पटवारी हल्का रायधनु से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की जॉच राजस्व रिकार्ड एवं मौके की कर तथ्यात्मक बिन्दुवार जॉच रिपोर्ट चाही गई। जिस पर पटवारी रायधनु द्वारा तरमीम मौके अनुसार व खसरा नम्बर 960 / 61 के खातेदार के बताये अनुसार की जाना तथा DILRMP के तहत मुख्यालय तहसील कार्यालय नागौर किया जाना अवगत करवाया।

इसके पश्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तरमीम शुद्धिकरण के संबंध में पत्रांक–भू.अ. / 2021 / 03–05 दिनांक 01.01.2021 से निरीक्षक भू.अ. अलाय, कुमारी तथा पटवारी रायधनू को जारी पत्र के संबंध में, निरीक्षक भू.अ. अलाय व कुमारी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 08.01.2021 प्रस्तुत कर मुख्यतः अवगत कराया कि DILRMP के तहत खसरा नम्बर 960 / 61 की तरमीम नामा.सं. 819 की पुश्त में दर्शाये नजरी नक्शे के अनुरूप नहीं है। खसरा नम्बर 61 की पूर्वी माट के रास्ता चलने के निशानात पाये गये।

उक्त संबंध में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा संबंधित पक्षकारों श्री रामकरणराम, हेमाराम, पूनाराम, रेवन्तराम पुत्रगण श्री तेजाराम जाट, श्रीमति भीखी पत्नी श्री बागाराम जाट, भोमाराम व खेमाराम पुत्रगण बागाराम जाट को नोटिस दिनांक 15.01.2021 को जारी कर नोटिस में रेस्पोडेन्ट भोमाराम द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 21.12.2020 के अनुसार तथ्यों का उल्लेख करते हुए प्रकरण की सुनवाई में अपने उजर ऐतराज तथा साक्ष्य, सबूत पेश करने हेतु दिनांक 18.01.2021 नियत की गई। उक्त नोटिस के संबंध में रेस्पोडेन्ट भोमाराम द्वारा मुख्यतः कथन किया कि खसरा नम्बर 61 के पूर्वी तरफ सींव के पास पास में खेमाराम ने अपना खेत खसरा नम्बर 960 / 61 बताकर गलत तरमीम करवा दी है, तथा उसके बाद में पटवारी से मिलकर उक्त गलत तरमीम करवायी जगह को सरेण्डर कर दिया तथा रास्ता कटवा दिया। सरेण्डर दिनांक 03.12.2020 को किया तथा तहसीलदार जी को गुमराह करके गलत आदेश भी दिनांक 04.12.2020 को निकलवा दिया। इस मामले में पता चलने पर तहसीलदार जी को दिनांक 21.12.2020 को अपना ऐतराज पेश किया तथा गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने का निवेदन किया व सही तरमीम का निवेदन किया था आदि अवगत कराते हुऐ खसरा नम्बर 61 के पूर्व में खसरा नम्बर 960 / 61 की तरमीम को सही करवाने तथा गलत तरमीम के आधार पर किया गया समर्पण खारिज करने आदि का निवेदन किया एवं जबाब के साथ नामा.सं. 819 व नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति भी प्रस्तुत की। पूनाराम पुत्र तेजाराम जाट निवासी ग्राम सुखवासी तहसील नागौर द्वारा जबाब प्रस्तुत कर कथन किया कि खसरा नम्बर 61 व 960 / 61 में जो तरमीम हुई है, अगर राज हक में रास्ते के उपयोग हेतु होती है उसे कोई आपत्ति नहीं है। वर्तमान का रेकर्ड सही होना बताया। खेमाराम (अपीलान्ट) ने जबाब प्रस्तुत कर मौजा शिवपुरा के खसरा नम्बर 61 व 960 / 61 में पटवारी हल्का द्वारा की गई तरमीम सही है। आपत्तिकर्ता भोमाराम के द्वारा प्रस्तुत की गई आपति को मनगढ़त व आधार हीन है। अपीलान्ट खेमाराम की भूमि मौके पर जिस प्रकार से कायम रहती चली आयी है उसी अनुसार मौके की वास्तविक स्थिति को देखकर ही संबंधित पटवारी हल्का के द्वारा तरमीम पूर्णतया सही की गई है अपीलान्ट द्वारा जिस भूमि पर कब्जा काश्त व खातेदारी होना बताया गया है, वो भूमि उनके राजस्व रेकर्ड में दर्ज रकबे के अनुसार मौके पर सही है। मोके पर खेमाराम(अपीलान्ट) द्वारा जो भूमि दिनांक 04.12.2020 को समर्पित की है, उस भूमि पर मोके पर रास्ता चालू है, जो कि पहले से ही चालू चला आ रहा है आदि कथन करते हुए आपत्तिकर्ता भोमाराम द्वारा प्रस्तुत आपत्ति खारिज करने तथा खसरा नम्बर 960 / 61 ग्राम शिवपुरा के संबंध में पारित आदेश दिनांक 04.12.2020 की पालना में समर्पित भूमि को सिवाय चक भूमि दर्ज करने हेतु म्यूटेशन स्वीकृत करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:34:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपर्युक्तानुसार जबाब एवं निरीक्षक भू.अ. कुमारी व निरीक्षक भू.अ. अलाय प्राप्त विस्तृत जॉच रिपोर्ट के आधार मौजा शिवपुरा पटवार वृत रायधनू तहसील नागौर के खसरा नम्बर 960 / 61 में दर्शायी गयी DILRMP प्रोग्राम के तहत तरमीम पटवारी हल्का द्वारा समर्पण आदेश कमांक 129 दिनांक 04.12.2020 के द्वारा समर्पित की गई भूमि का नामान्तरकरण होने से पूर्व ही नक्शा में जो तरमीम दर्शायी गई है, जो सही नहीं की जाना मानते हुए श्री भोमाराम रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा शिवपुरा पटवार वृत रायधनु तहसील नागौर के खसरा संख्या 960 / 61 की तरमीम राजस्व रिकार्ड के अनुसार सही करने प्रस्तुत करने का पटवारी हल्का रायधनु एवं निरीक्षक भू.अ. कुमारी को आदेशित करते हुए निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो उचित प्रतीत होता है।

हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट भोमाराम द्वारा तरमीम सही करने बाबत अधिनस्थ न्यायालय में आवेदन दिनांक 21.12.2020 प्रस्तुत करने पर अधिनस्थ न्यायालय की जानकारी में आने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन पर कार्यवाही प्रारम्भ कर पक्षकारान को उजर आपत्ति प्रस्तुत करने बाबत नोटिस जारी किये, जिस पर अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जबाब प्रस्तुत किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निरीक्षक भू.अ. अलाय व कुमारी की रिपोर्ट दिनांक 08.01.2021, पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत जबाब एवं उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है। प्रकरण में भोमाराम द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 21.12.2020 जो तरमीम सही करने बाबत का आवेदन रहा है एवं तरमीम दुरूस्ती की कोई अपील किसी न्यायालय में विचाराधीन होते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील पारित करने के संबंध में कोई वकील अपीलान्ट द्वारा कोई प्रमाणित एवं ठोस कथन एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। इसके अलावा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील विवादित तरमीम के संबंध में ही पारित किया गया है, जो उचित प्रतीत होता है।

प्रकरण में निरीक्षक भू.अ. अलाय एवं कुमारी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 08.01.2021 प्रस्तुत कर मुख्यतः अवगत कराया कि DILRMP के तहत खसरा नम्बर 960 / 61 की तरमीम नामा.सं. 819 की पुश्त में दर्शाये नजरी नक्शे के अनुरूप नहीं है। खसरा नम्बर 61 की पूर्वी माट के रास्ता चलने के निशानात पाये गये। इसके अलावा अपीलान्ट खेमाराम द्वारा भी जबाब प्रस्तुत किया, परन्तु खेमाराम द्वारा खसरा नं0 61 के पूर्व में खसरा नम्बर 960 / 61 का कोई भाग स्थित होने बाबत कोई ठोस प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील दिनांक 15. 02.2021 पारित किया है, जो उचित है। इसके अतिरिक्त उपर्युक्तानुसार तथ्यों से यह भी स्पष्ट है कि DILRMP के तहत खसरा नम्बर 960 / 61 के संबंध में पूर्व नक्शा का अवलोकन किये बिना ही पटवारी द्वारा गलत तरमीम की गई है। गलत तरमीम के लिए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर को संबंधित पटवारी के विरूद्ध विधिवत अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर प्रभारी अधिकारी, भू अभिलेख अनुभाग कलेक्ट्रेट नागौर को भिजवाने हेतु निर्देशित किया जाना उचित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। उपर्युक्तानुसार DILRMP के तहत खसरा नम्बर 960 / 61 के संबंध में पूर्व नक्शा का अवलोकन किये बिना ही पटवारी द्वारा गलत तरमीम की गई है। गलत तरमीम के लिए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर को संबंधित पटवारी के विरूद्ध विधिवत अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु इस निर्णय की प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस में प्रस्ताव तैयार कर प्रभारी अधिकारी, भू अभिलेख अनुभाग कलेक्ट्रेट नागौर को भिजवाने हेतु निर्देशित किया जाता है। निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर एवं प्रभारी अधिकारी, भू अभिलेख अनुभाग कलेक्ट्रेट नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर को उनका मूल रिकार्ड लौटाया जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:34:14 IST
Reason: SelfAttested